राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प. 4(1) वित्त–1 (1)आ.व्य./2012 जयपुर, दिनांक: 11 मार्च, 2013

I. D. No. 291 /PS/CCE/C
Dated 18.3.13

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
बजट नियंत्रण अधिकारी,
राजस्थान।

FA/
JD(Adm)
18/3

विषय: बजट प्रावधान के उपयोग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसाकि विदित है वित्तीय वर्ष 2012–13 समाप्ति की ओर है, विभिन्न विभागों द्वारा वर्तमान वर्ष के प्रावधित बजट अनुमानों के अतिरिक्त चाही गई राशि, अनुपूरक अनुदान की माँगों के रूप में दिनांक 8 मार्च, 2013 को विधान सभा द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। उक्त राशि आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी कर वित्त विभाग द्वारा शीघ्र ही एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (Integrated Financial Management System) के माध्यम से सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत राशि तथा अनुपूरक अनुदानों में स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में संभव हो सके, इस हेतु वित्त विभाग द्वारा दिनांक 23, 24, 26, 29, व 30 मार्च, 2013 को घोषित राजकीय अवकाशों के दिन भी राज्य के समस्त कोषागार खोले रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं **(प्रति संलग्न है)**।

अतः अनुरोध है कि आप अपने नियंत्रणाधीन सभी विभागाध्यक्षों/बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे इस वित्तीय वर्ष के समस्त वित्तीय दायित्वों के निर्वहन के लिए उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग इसी माह में करना सुनिश्चित करें। बजट प्रावधान उपलब्ध होते हुए भी यदि सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी प्रावधित राशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो वित्त विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में उत्पन्न दायित्वों के लिए बजट प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष से उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतः आप उक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने का श्रम करें।

FA
33
Please circulate to All DDO's
2013
AAO (14-5)
PA
20/3/13

भवदीय,

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव (बजट)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

क्रमांक एफ. 25 (डी)/पीए/लेखा/निकाशि/2012/39-40 जयपुर, दिनांक 20.3.2013

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय
2. समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राज.
3. श्री धीरेन्द्र देवर्षी व्याख्याता को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना वेबसाईड पर अपलोड करे।

वित्तीय सलाहकार
कालेज शिक्षा राज. जयपुर

दूरभाष : 2740239
फैक्स : 2742309

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान
ए–ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/पे–बिल/ **दिनांक**

कोषाधिकारी
समस्त।

विषयः– **माह मार्च 2013 के अन्तिम सप्ताह में कोषालय/उपकोषालयों को खोले जाने के संबधं में।**

संदर्भः– **संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग का पत्रांक प. 11(38)वित्त/राजस्व/2007 पार्ट–2 दिनांक 08.03.2013**

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 का यह अंतिम माह चल रहा है जिसमें दिनांक 23.03.2013 से 31.03.2013 तक केवल दो ही कार्यदिवस (25 एवं 28 मार्च) है शेष सभी अवकाश है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में आंवटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा कोषालयों/उपकोषालयों में प्रस्तुत किए गये बिलों को पारित करवाने के लिए वित्त विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा निम्न अवकाश के दिनों में भी कोषालय/उपकोषालय खोले जाने के निर्देश प्रदान किये गये है :–

दिनांक 23 एवं 24 मार्च (शनिवार एवं रविवार)
दिनांक 26 मार्च (होली)
दिनांक 29 एवं 30 मार्च (ग्रुड फ्राइडे एवं शनिवार)

वर्तमान में सभी प्राकर के बिलों का ऑनलाइन भुगतान ई.सी.एस. एवं एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किया जाता है। बैंक के कार्य दिवस को शाम 5 बजे तक किए गये ई.सी.एस. का भुगतान उसी दिन लाभार्थी के खातें में जमा हो जाता है लेकिन एन.ई.एफ.टी. का भुगतान आगामी कार्य दिवस को ही जमा होता है। अतः कोषालय द्वारा किए गये ई.सी.एस. एवं एन.ई.एफ.टी. का भुगतान भी समय पर

सुनिश्चित करने हेतु कोषालयों द्वारा एन.इ.एफ.टी. के माध्यम से भुगतान दिनांक 29.03.2013 तक तथा ई.सी.एस. के माध्यम से भुगतान दिनांक 30.03.2013 को 12.00 बजे (शनिवार होने के कारण बैंक आधे दिन ही कार्य करता है) तक ही किया जाना है अर्थात दिनांक 29.03.2013 के पश्चात एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान तथा दिनांक 30.03.2013 को 12.00 बजे पश्चात ई.सी.एस. के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान भी चैक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करे।

उपरोक्तानुसार उपकोषालय खोलने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त उपकोषाधिकारियों एवं आहरण वितरण अधिकारियों को भी निर्देशित करें।

भवदीय

निदेशक

क्रमांक: एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/पे–बिल/24076 – 87 दिनांक 8/3/13

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, वित्त सचिव (बजट) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
4. सहायक महाप्रबन्धक (लोक लेखा) भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर।
5. मुख्य प्रबन्धक, (सरकारी लेखा) एस.बी.बी.जे., तिलक मार्ग, जयपुर।
6. उपमहाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर।
7. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आनन्द भवन, संसारचन्द्र रोड, जयपुर।
8. सहायक उपमहाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
9. फील्ड महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर।
10. उप महाप्रबंधक, यू.को बैंक, आर्केड इन्टरनेशनल, अजमेर रोड, जयपुर।
11. बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, यू.पी.एस.सी. नई बिल्डिंग, महाराष्ट्रा, नई दिल्ली।
12. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), वित्त विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक (IFMS)